प्रेस विज्ञप्ति
21/08/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 20.08.2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5(1) के तहत **18.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां**, जिनमें आवासीय भूखंड और फ्लैट शामिल हैं, राजेश वी. आर., श्रीमती नागवल्ली बी. एस. और उनके सहयोगियों की स्वामित्व वाली/उनसे संबद्ध संपत्तियों के रूप में कुर्क की गई हैं। यह कार्रवाई बेंगलुरु स्थित सिरिवैभव सौहार्द पट्टिना सहकारी नियमिता की जांच के संबंध में की गई है।

ईडी ने बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच से पता चला कि सहकारी समिति द्वारा एकत्र की गई सार्वजनिक जमाराशियों को कथित तौर पर राजेश वी. आर. और श्रीमती नागवल्ली बी. एस. से संबद्ध संस्थाओं और व्यक्तियों को असुरक्षित एवं अनियमित ऋण के माध्यम से डायवर्ट किया गया। इसके बाद डायवर्ट की गई धनराशि का उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया।

16.95 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां पहले ही दिनांक 12.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुर्क की जा चुकी थीं और इस निदेशालय द्वारा दिनांक 26.03.2026 को अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी। आगे की जांच के दौरान **18.32 करोड़ रुपये मूल्य की अतिरिक्त अचल संपत्तियों की पहचान की गई, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जित आय से प्राप्त किया गया था और अब उन्हें अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है।**

आगे की जांच जारी है।